सं. 13020/1/2019-स्था. (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(छुट्टी और भत्ता प्रभाग)

पुराना जे.एन.यू कैम्पस, नई दिल्ली
दिनांकः 7 जून, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती/क्वारंटाइन अवधि के नियमितीकरण/इलाज के संबंध में।

इस विभाग को कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती/क्वारंटाइन अवधि से संबंधित स्पष्टीकरण के संबंध में कई संदर्भ/प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। इस मामले पर विचार किया गया है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 में छूट देते हुए, अनुपस्थिति की अवधि को निम्नानुसार मानने का निर्णय लिया गया हैः-

क्रम सं.	स्थिति	अनुपस्थिति की अवधि को निम्नानुसार माना जाए
1.	जब सरकारी सेवक स्वयं कोविड पॉजिटिव हो और घर में पृथक/क्वारंटाइन में हो	i. चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना केवल अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, यदि उचित और अनुमेय हो, 20 दिनों तक की परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जाएगी। ii. अगर परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध नहीं है, तो उसे 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल) प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद 5 दिनों का अर्जित अवकाश (ईएल) अथवा अर्धवेतन अवकाश (एचपीएल) दिया जाएगा और अगर ईएल/एचपीएल भी उपलब्ध नहीं है तो उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना असाधारण छुट्टी (ईओएल) प्रदान की जाएगी और इस अवधि की गणना अर्हक सेवा के लिए भी की जाएगी।
2.	जब सरकारी सेवक स्वयं कोविड पॉजिटिव हो और घर में पृथक हो और साथ ही अस्पताल में भर्ती भी रहा हो।	i. उपर्युक्त क्रम सं. 1 के अनुसार, कोविड पॉजिटिव होने के समय से शुरू करते हुए, 20 दिनों की अवधि तक की परिवर्तित छुट्टी/एससीएल/ईएल प्रदान की जाएगी, अगर अस्पताल से छुट्टी/होम क्वारंटाइन की अवधि 20 दिनों के भीतर पड़ती है। ii. उसके कोविड पॉजिटिव होने से 20 वें दिन से आगे, अस्पताल में भर्ती होने के मामले में, उसे अस्पताल में भर्ती होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर, परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जाएगी। iii. यदि,अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात् , सरकारी सेवक को कोविड के बाद ठीक होने के लिए घर में ही रहने की

			आवश्यकता है, तो उसे सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अनुसार, संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी भी प्रकार की देय और अनुमेय छुट्टी प्रदान की जा सकती है। यदि सरकारी सेवक के खाते में परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध न हो, तब ही उसे 15 दिनों की एससीएल अथवा ईएल अथवा ईओएल देने पर विचार किया जाएगा।
3.	जब सरकारी सेवक पर आश्रित परिवार का सदस्य कोविड पॉजिटिव हो अथवा उसके साथ रह रहे माता-पिता, चाहे आश्रित हो या न हो, कोविड पॉजिटिव हो।	i. ii.	परिवार के आश्रित सदस्य/माता-पिता की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 15 दिनों की एससीएल प्रदान की जाएगी। 15 दिनों के एससीएल समाप्त होने के बाद भी परिवार के किसी सदस्य/माता-पिता के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में, सरकारी सेवक को उनके अस्पताल से छुट्टी मिलने तक एससीएल के 15 दिनों से आगे किसी भी प्रकार की देय और अनुमेय छुट्टी प्रदान की जा सकती है। आश्रित परिवारिक सदस्य/माता-पिता की अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, यदि सरकारी सेवक आगे और छुट्टी लेना चाहता है, उसे सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अनुसार देय और अनुमेय छुट्टी देने पर विचार किया जा सकता है जो कि कार्यात्मक आवश्यकताओं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी की मंजूरी दिए जाने के अध्यधीन है। सक्षम प्राधिकारी को ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है और इस मामले में उसका निर्णय अंतिम होगा।
4.	जब सरकारी सेवक एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए और घर में क्वारंटाइन में रहे।		उसे सात दिनों की अवधि के लिए ड्यूटी पर/वर्क फ्रॉम होम पर माना जाएगा। इससे आगे की अवधि के लिए उसकी उपस्थिति संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार नियमित की जाएगी, जहां वो कार्य करता है।
5.	एहतियाती उपाय के रूप में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सरकारी सेवक द्वारा बिताई गई क्वारंटाइन की अवधि		जब तक उसका कंटेनमेंट जोन डी-नोटिफाइड नहीं हो जाता तब तक उसे ड्यूटी पर/वर्क फ्रॉम होम पर माना जाएगा।

2. ये आदेश 25.03.2020 से लागू होंगे और अन्य आदेशों तक जारी रहेंगे। पूर्ववर्ती मामलें, जिनका निपटान किया जा चुका है, तो उन्हें पुनः खोला जा सकता है ,अगर वो सरकारी सेवक के लिए लाभकारी है और जहां वह समीक्षा हेतु लिखित में अनुरोध देता है।

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय
3. राज्य मंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव
4. सचिव (कार्मिक) के पीएसओ
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी- को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।